न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या 478/2020
निर्णय दिनांक

राजेश कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति माली, निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. रोहिताश सारण पुत्र श्री नानगराम जाति जाट, निवासी ढाणी सारणों की, ग्राम बसई जोगियान, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

..... **मुख्य रेस्पोडेन्ट**

2. रमेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद
3. मुकेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद
4. ममता पुत्री बद्री प्रसाद (मृतक)

   समस्त जाति माली निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
5. कैलाश पुत्र बोदू
6. पांची देवी पत्नि बोदू

   समस्त जाति माली निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
7. गुमान सिंह पुत्र अमरसिंह
8. उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
10. सब रजिस्ट्रार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

.....**तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स**

<u>अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 15.01.2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 315/2019 उनवान रोहिताश सारण बनाम रमेश कुमार व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

एवम्

अपील संख्या 471/2020

राजेश कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद जाति माली, निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बनाम

1. रोहिताश सारण पुत्र श्री नानगराम जाति जाट, निवासी ढाणी सारणों की, ग्राम बसई, जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..... **मुख्य रेस्पोडेन्ट**

2. रमेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद
3. मुकेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद
4. ममता पुत्री बद्री प्रसाद (मृतक)

   समस्त जाति माली निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

5. कैलाश पुत्र बोदू
6. पांची देवी पत्नि बोदू

   समस्त जाति माली निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

7. गुमान सिंह पुत्र अमरसिंह
8. उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी हापोडा तन पंच पहाडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
10. सब रजिस्ट्रार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 17.02.2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 315/2019 उनवान रोहिताश सारण बनाम रमेश कुमार व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 478/2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 315/2019 बउनवानी रोहिताश सारण बनाम रमेश कुमार व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 15.01.2020 के विरूद्व एवम् अपील संख्या 471/2020 उक्त वाद पत्र में ही पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 17.02.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 660 रकबा 1.56 हैक्टेयर ग्राम मौजा पंचपहाडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में स्थित है। आराजी के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 सहखातेदार काश्तकार काबिज है। वादी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उक्त आराजी में 0.13 हैक्टेयर भूमि यानि हिस्सा 13/156 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से खरीदकर बतौर मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी के हक में नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका है तथा इसी हिस्सानुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज–काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है तथा वादी ने जो 0.13 ऐयर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से खरीद की है वह भूमि रोड से लगती हुई है जिस पर वादी खरीद के रोज से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का वादी के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नहीं है। वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज–काश्त करता चला आ रहा है आज भी मौके पर काबिज–काश्त है। आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादी के हिस्से की खरीदशुदा आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते है, पेड वगैराह काटने, खड्डे वगैराह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, विधिवत तकासमा कराये बिना आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का वादी के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक अथवा वास्ता नहीं है। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि आराजी खसरा नंबर 660 रकबा 1.56 हैक्टेयर ग्राम मौजा पंचपहाडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य विधिवत तकासमा किया जाकर वादी को उसकी खरीदशुदा भूमि 0.13 हैक्टेयर अर्थात हिस्सा 13/156 रोड से लगती हुई का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 660 रकबा 1.56 हैक्टेयर ग्राम मौजा पंचपहाडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में वादी के हिस्से की खरीदशुदा आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित ना करें, आराजीयात पर निर्माण इत्यादि नहीं करें एवम् मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 15.01.2020 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर, तहसीलदार पावटा को खसरा नंबर 660 रकबा 1.56 हैक्टेयर ग्राम मौजा पंचपहाडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर के मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में मौके व रिकॉर्ड के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार पावटा द्वारा नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 17.02.2020 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर, अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट/प्रतिवादी को कभी प्राप्त नहीं हुए, रेस्पोडेन्ट/वादी ने तामील कुलिन्दा से अपीलान्ट की चस्पानगी से फर्जी तामील करवाई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के तामील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

संबंधी प्रावधान आदेश 5 नियम 17 लगायत 20 की पालना नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये एवम् बिना राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री की पालना न करते हुये कुरैजात रिपोर्ट तैयार की गई है, कुरैजात रिपोर्ट में मुख्य रोड की संपूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट को तथा पीछे की भूमि अपीलान्ट को दी गई है जबकि तहसीलदार को समान रूप से भूमि विभाजित करते हुए कुरैजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर ध्यान न देकर अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री एवम् अंतिम निर्णय डिक्री खारिज किये जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2005(1) पेज 394 पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील करवाई गई, अपीलान्ट ने जानबूझकर नोटिस प्राप्त नहीं किया इस कारण चस्पानगी से तामील करवाई गई। विधिवत तामील होने के बावजूद अपीलान्ट के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व विधिवत एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की गई है। तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार कुरैजात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात का परीक्षण कर, कुरैजात पर उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के द्वारा प्रश्नगत आराजी में से अपना हिस्सा जो कि विक्रय पत्र में 0.13 हैक्टेयर दर्शाया गया है, का विक्रय किया गया जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा का वाद, वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दायर किया गया है जिसमें अन्य समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मात्र प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के द्वारा जवाब वाद न प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किये जाने की सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जिससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की सहमति के आधार पर वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्व डिक्री कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण न करते हुए एवम् अपने विवेक का उपयोग न कर प्रारम्भिक निर्णय डिक्री त्रुटिपूर्ण पारित किये है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भिक निर्णय डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या 478/2020 स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2020 खारिज की जाती है।

चूंकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री खारिज की चुकी की है जिसके परिणामस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री स्वतः ही निरस्त हो गई है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या 471/2020 स्वीकार कर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2020 खारिज की जाती है।

5. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 15.01.2020 एवम् अन्तिम निर्णय डिक्री दिनांक 17.02.2020 खारिज किये जाते हैं। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित सम्पूर्ण विधिक प्रक्रियाओं की पालना करते हुए, साक्ष्य सबूत के आधार पर वाद में प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित करने के पश्चात् ही कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त कर, वाद का अन्तिम निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर